

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

RBE No. 84/2010

Training Manual

Correction Slip No. 1/2010

No.E(MPP)2003/3/16

New Delhi, dated 9.06.2010

The General Managers  
All Indian Railways/Production Units  
CORE/Allahabad  
Metro Railway/Kolkata  
COFMOW/New Delhi  
Director General/RDSO/Lucknow

The Director General  
Railway Staff College/Vadodara  
The Director  
IRIMEE/Jamalpur - 811214  
IRISET/Secunderabad - 500017  
IRICEN/Pune - 411001  
IRIEEN/Nasik - 422101  
IRITM/Lucknow  
Executive Director/IRCAMTECH  
Gwalior - 474020

Sub:- Pass marks for trainees undergoing Initial, Promotional,  
Refresher or Specialized courses in training centres.

During the DC/JCM meeting held on 27<sup>th</sup> & 28<sup>th</sup> August 2009, the Federation pointed out that Safety category staff had to secure 60% marks in non-safety subjects when non-safety category staff were required to secure only 50% marks, in non-safety subjects.


It has therefore been decided that only for Commercial paper(non-safety) pass marks would be 50% both for Commercial and Operating staff respectively.

All other terms and conditions as stipulated in Board's letters of even number dated 10.7.03 (RBE No. 122/03) and 3.6.04 (RBE 113/2004) remain the same.

The Ministry of Railway have decided to modify the Manual on Management of Training (Edition 1998) as per Correction Slip No. 1/2010 enclosed.

Kindly acknowledge the receipt.

DA: Training Manual Correction Slip No. 1/2010



(Anil Wason)  
Dy. Director(MPP)  
Railway Board

**Manual on  
Management of Training  
(June 1998)**

Advance Correction Slip No.1/2010

Para 5.5.4.1 below of the Manual on Management of Training (June 1998) may be replaced as under:

5.5.4.1 Pass marks in the examination conducted by training centers at the end of the course for safety categories including running staff should be 60% i.e. staff must secure 60% in written and 60% in practical/Viva to qualify the exam with no relaxation for SC/ST. Where the examination consists of only written or viva or practical staff must secure 60% marks in the same to qualify. For Commercial paper(non-safety) pass marks would be 50% both for Commercial and operating staff respectively.

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. ४५/२०१०  
प्रशिक्षण नियमावली  
शुद्धि पर्ची सं. १/२०१०

सं. ई (एमपीपी) 2003/3/16

नई दिल्ली, दि. १.०६.२०१०

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन कारखाने,  
केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन/इलाहाबाद,  
मेट्रो रेल/कोलकाता  
कॉफमो/नई दिल्ली .  
महानिदेशक,  
अअमासं/लखनऊ,

महानिदेशक,  
रेल स्टाफ कालेज, वडोदरा,  
निदेशक,  
इरिमी, जमालपुर - ८११२१४  
इरिसेट, सिंकंदराबाद - ५०००१७  
इरिसेन, पुणे - ४११००१  
इरिएन, नासिक - ४२२१०१.  
भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ  
कार्यपालक निदेशक  
इरकैमटेक, ग्वालियर - ४७४०२०

विषय: प्रशिक्षण केंद्रों में प्रारंभिक, पदोन्नति, पुनश्चर्या या विशेषीकृत पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए उत्तीर्ण अंक.

27 और 28 अगस्त, 2009 को आयोजित विभागीय परिषद्/संयुक्त वार्ता तंत्र की बैठक के दौरान फेडरेशन ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि संरक्षा कोटि के कर्मचारियों को गैर-संरक्षा विषयों में 60% अंक प्राप्त करने होते हैं, जबकि गैर-संरक्षा कोटि के कर्मचारियों को गैर-संरक्षा विषयों में केवल 50% अंक प्राप्त करने होते हैं।


अतः यह विनिश्चय किया गया है कि वाणिज्यिक और परिचालनिक कर्मचारियों दोनों के लिए केवल वाणिज्यिक प्रश्नपत्र (गैर-संरक्षा) के लिए उत्तीर्ण अंक 50% होंगे।

अन्य सभी निबंधन और शर्तें समान रहेंगी जैसा कि बोर्ड के दिनांक 10.7.03 (आर बी ई सं. 122/03) और 3.6.04 (आर बी ई सं. 113/2004) के समसंब्यक पत्र में अनुबद्ध हैं।

रेल मंत्रालय ने प्रशिक्षण-प्रबंध नियमावली (संस्करण 1998) को संलग्न शुद्धि पर्ची सं.1/2010 के अनुसार आशोधित करने का विनिश्चय किया है।

कृपया पावती दें।


संलग्नक: प्रशिक्षण-प्रबंध नियमावली शुद्धि पर्ची सं. 1/2010

  
(अनिल वासन)  
उपनिदेशक (एमपीपी)  
रेलवे बोर्ड

सं. ई (एम पी पी)2003/3/16

नई दिल्ली, दि. १.०६.२०१०

1. महासचिव, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. महासचिव, एफआरओए, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियां)
4. महासचिव, आईआरपीओएफ, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. सभी सदस्य, विभागीय परिषद्, और राष्ट्रीय परिषद् तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)
6. महासचिव, ऑल इंडियन आरपीएफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली-  
(5 अतिरिक्त प्रतियां )

  
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

सं. ई (एम पी पी)2003/3/16

नई दिल्ली, दि. १.०६.२०१०

प्रतिलिपि:

प्रिंसिपल, सभी प्रशिक्षण केंद्र।

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त एवं बोर्ड के सदस्य, अपर सदस्य तथा अन्य।

मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।

ई (ट्रेनिंग), ई (एन जी) I, ई (एन जी) II, ई (जी)।

**प्रशिक्षण-प्रबंध नियमावली**  
**(जून 1998)**

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 1/2010

प्रशिक्षण-प्रबंध नियमावली (जून 1998) के नीचे पैरा 5.5.4.1 को नीचे लिखे अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएः -

**5.5.4.1** रनिंग कर्मचारियों सहित संरक्षा कोटियों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा पाठ्यक्रमों के समापन पर ली जाने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंक 60% होंगे अर्थात् परीक्षा में अर्हक होने के लिए स्टाफ को लिखित परीक्षा में 60% और व्यावहारिक/मौखिक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने होंगे और अजा/अजजा के लिए इसमें कोई छूट नहीं होगी। जहां परीक्षा में केवल लिखित या मौखिक या व्यावहारिक परीक्षा ही शामिल है, कर्मचारी को उसमें अर्हक होने के लिए 60% अंक अनिवार्यतः प्राप्त करने होंगे। वाणिज्यिक और परिचालनिक कर्मचारियों दोनों के लिए वाणिज्यिक प्रश्नपत्र (गैर-संरक्षा) के लिए उत्तीर्ण अंक 50% होंगे.

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक १.०६.२०१० का पत्र सं. ई (एम पी पी)2003/16)